

ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्राप्ति: 26.08.2023

स्वीकृत: 17.09.2023

67

डा० रीना शर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
शम्भू दयाल पी०जी० कॉलेज
गाजियाबाद, उ०प्र०

प्रियंका

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
शम्भू दयाल पी०जी० कॉलेज गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
ईमेल: priyankabarhela561@gmail.com

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण में आर्थिक स्तर का अध्ययन है। दुनिया भर में कोई भी ऐसा देश नहीं जहां लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या (महिलाओं) को हाशिये पर रखकर सम्पूर्ण आर्थिक विकास सम्भव हो पाया हो। महिलाओं को दर किनार कर विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त आर्थिक सशक्त किये बिना किसी देश राज्य व समाज के पूर्णतः विकास की कल्पना करना निराधार है। पहले महिलाओं को घर की चार दीवारी से निकल अपनी समता व सामर्थ्य का कीर्तिमान स्थापित करने की आमतौर पर हमारे समाज व परिवार की संकीर्ण सोच इजाजत नहीं देती थी। संविधान में समता व बराबरी का अधिकार तथा केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अनेक प्रकार के विकास कार्यक्रम, योजनाओं के आगमन पर महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को एक अलग ही गति मिली। जिससे महिलायें अपनी क्षमता, मेहनत, शौर्य के बल पर अपनी सकारात्मक उपस्थिति दर्ज करा रही हैं ना सिर्फ आर्थिक स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी अपना पलड़ा भारी कर रही हैं। ग्रामीण हो चाहे शहरी महिला, अपने परिवार की तमाम रुढ़िवादी संकीर्ण सोच को पीछे छोड़ निरन्तर प्रगति की राह पर आगे बढ़ रही हैं। और जिसमें शिक्षा एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है।

अध्ययन के उद्देश्य

ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का आंकलन करना। परिवार में महिलाओं द्वारा आर्थिक भागीदारी का विश्लेषण करना तथा ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक रूप से सशक्त होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों की जांच करना एवं आर्थिक रूप से, सशक्त महिलाओं के आय के स्रोतों को जांच करना, है तथा अध्ययन के विश्लेषण उपरान्त ज्ञात होता है, कि भिन्न प्रकार की योजनाओं तथा विकास कार्यक्रमों के बाद भी ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता के प्रति पुरुष प्रधान समाज की सोच आज भी संकीर्ण बनी हुई है। जो महिलाओं की प्रगति में रोड़ा अटकाती स्पष्ट दिखाई देती है। हालांकि यह स्थिति अधिक निन्दनीय एवं विचारणीय नहीं है, क्योंकि वर्तमान की महिलायें शिक्षा के बल पर सभी क्षेत्रों में विभिन्न पदों को सुशोभित कर रही हैं तथा ग्रामिण महिलायें

हथकरघा, कुटीर उद्योगों, मवेशी व पशुपालन, कृषि, कारखानों में आजीविका के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। भले ही गाँवों में महिलाओं की कमाई का स्तर छोटा हो पर स्वनिर्भर बन रही है। स्वयं के बल स्वयं सामाजिक, आर्थिक आत्मनिर्भर बन रही हैं।

मुख्य बिन्दु

महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, आर्थिक विकास घरेलू सिद्धान्त, स्वरोजगार, आर्थिक आत्म निर्भरता, जागरूकता, महिला सशक्तिकरण व आर्थिक विकास।

महिला सशक्तिकरण और महिला आर्थिक विकास दोनों – एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि सशक्तिकरण की पहली शर्त ही आत्मनिर्भरता है जब तक कोई व्यक्ति– स्व निर्णय में स्वतंत्र नहीं तो वह आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकता है। इसके लिये आर्थिक निर्भरता खत्म होना ही पहली और आवश्यक शर्त है। भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में महिलाएं परिवार के पुरुष पर निर्भरता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखी जा सकती है। आर्थिक सशक्तिकरण से तात्पर्य समाज के प्रत्येक वर्ग जाति, धर्म, सम्प्रदाय के बिना व्यक्ति किसी भेदभाव के आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना अर्थात् समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े अंतिम व्यक्ति के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण कहलाता है। सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता सर्वविदित व सार्वभौमिक है। हालांकि 19वीं शताब्दी में महिलाओं को घर से बाहर जाकर परिवार के लिये कमाना अर्थात् आर्थिक सहभागिता मान्य नहीं थी। परन्तु वर्तमान में परिवार में बढ़ रहे। आर्थिक बदलाव ने इसे शिथिल कर दिया है। जिसमें शिक्षा की अहम भूमिका स्पष्ट है। जिसके माध्यम से मत परिवर्तन हो सका। ग्रामीण महिलाओं हेतु असंगठित क्षेत्र में रोजगार की भरमार है। जैसे कृषि, वानिकी, मछली पालन, मवेशी, खादी, हथकरघा, आदि तथा कृषि में महिलाओं की सहभागिता को कतई भी नहीं नकारा जा सकता है। क्योंकि कृषि में इनकी सहभागिता लगभग 50 प्रतिशत आंकी जाती है। जिसकी गणना मुद्रा रूप में कभी नहीं की जाती है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने बहुत से सकारात्मक व समन्वित प्रयास किये गये हैं। पांचवीं व आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के कल्याण व विकास के लक्ष्य निर्धारित किये गये और उसके बाद बहुत सी योजनाओं, कार्यक्रमों तथा ऋण उपलब्धि स्कीमो का आगमन हुआ। जिनके बल पर ग्रामीण स्तर पर महिला आर्थिक निर्भरता को स्व: आत्मनिर्भरता में बदला जा सके। महिलाओं द्वारा परिवार की अर्थव्यवस्था में योगदान तथा स्वयं की जरूरतों और आवश्यकताओं हेतु स्वयं पर ही निर्भरता यानि आत्मनिर्भरता ही आर्थिक सशक्तिकरण कहलाता है।

महिला आर्थिक सशक्तिकरण हेतु चल रही योजनाएं—

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं के आर्थिक उत्थान एवं सहभागिता हेतु बहुत से नवीन आयामों का विस्तार हुआ है, जिनके द्वारा लैंगिक आधार पर किये जाने वाले भेदभाव पर प्रहार किया गया। केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित कुछ विकास कार्यक्रम एवं योजनाएं—

1. इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
2. अमृता हाट बाजार
3. कौशल सामर्थ्य योजना
4. महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम
5. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

6. महिला स्वयं सिद्धा योजना
7. स्टेप योजना
8. शुभ शक्ति योजना
9. नारी शक्ति पुरस्कार
10. संशोधित महिला विकास ऋण योजना
11. धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र
12. महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण केंद्र

अध्ययन के उद्देश्य

1. ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का आंकलन करना।
2. परिवार में महिलाओं द्वारा आर्थिक भागादारी का विश्लेषण करना।
3. ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक रूप से सशक्त होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों की जांच करना।
4. आर्थिक रूप से सशक्त महिलाओं के आय के स्रोतों की जांच करना।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का विश्लेषण प्राथमिक व द्वितीयक आकड़ों पर आधारित है। तथा साक्षात्कार, अनुसूची, सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग हुआ है। विषय से सम्बंधित लेख, अखबार, जर्नल, विषयवस्तु विश्लेषण, कार्यरत महिलाओं की राय तथा सरकारी सर्वेक्षणों तथा रिपोर्ट का प्रयोग किया गया है। तथा उत्तरदाताओं का चुनाव उद्देश्यपरक प्रतिदर्श के माध्यम से किया गया है और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की आधुनिक सांख्यिकी प्रणाली का प्रयोग हुआ है।

साहित्य पूर्वावलोकन

रितु गुलाठी व रश्मि: के द्वारा ग्रामीण महिलाओं पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन का विश्लेषण करने के उपरान्त ज्ञात होता है कि महिला कल्याण हेतु सरकार द्वारा चालित विभिन्न योजनाओं के प्रति जानकारी व लाभ प्राप्त करने हेतु जिज्ञासा व उत्साह होना बेहद जरूरी है। प्रस्तुत लेख में वर्तमान में महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव है उस पर प्रकाश डाला गया।

हमारे समाज में परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है जिसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं सशक्तिकरण हुआ है। सम्पूर्ण महिला आबादी का एक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है जो कि शिक्षित हो परिवार व समाज की प्रगति में आधार साबित हुआ है। तमाम सराहनीय कदम तथा विस्तार प्रगति के बावजूद भी समाज के नियमों व परम्पराओं का दबाव किसी ना किसी रूप में बना ही रहता है। तथा सम्पूर्ण नियमों का पालन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करना ही पड़ता है। यह हमारी सामाजिक संरचना में ही व्यापत हो चुका है। जिससे दूर नहीं हो सकते। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शिक्षा तथा विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जितना विस्तार शिक्षा का होगा उतना ही विकास होगा। महिलाओं का विकास से प्रथम सम्बन्ध समाज के विकास का है। वर्तमान समय में महिलायें शिक्षा को हथियार बना कर प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर रही हैं।

राजा साहू

ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास में महिला स्वयं सहायता समूह के योगदान के अनुसार – एक समय में महिलायें अशिक्षित, अबला व अज्ञानी थीं। शिक्षा का अभाव, स्वहित के प्रति अज्ञानता, परिवार पर निर्भरता रखना ही अपना भाग्य व हित समझती थीं। शोध लेखक के अनुसार स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात् महिलायें अपने स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, परिवार नियोजन, पौष्टिकता के प्रति भी जागरुकता तथा अपने कर्तव्यों व अधिकारों के बल पर आर्थिक व सामाजिक स्तर पर मजबूत हुई हैं और इस समूह के द्वारा अपने सदस्यों की छोटी-छोटी बचतों-बातों का माध्यम से पारिवारिक अर्थव्यवस्था में योगदान तथा स्वयं महिलाओं के पास धन संग्रह हेतु प्रोत्साहन किया है। यही छोटी बचतें उन्हें आर्थिक संकट से उबारती हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्त्रियों के नेतृत्व के गुणों का विकास हुआ है तथा सभी महिलायें अपनी बातों तथा समस्याओं का समूह के सामने रखने में सक्षम हुई हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन लेखक का उद्देश्य यह उल्लेखित करता है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्त्रियों का बहुमुखी विकास सम्भव हो पाया है। उनके जीवन स्तर में सुधार व प्रभावी विकास व भागीदारी सुनिश्चित कर पायी है। इस समूह की एक आवश्यक महत्ता पर लेखक ने प्रकाश डाला है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलायें संगठित होकर सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में स्वयं के प्रयासों के माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकती हैं।

पुष्पा तातेड

आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय सहभागिता का विश्लेषण किया गया है कि महिलाओं की आर्थिक पराधीनता, समाज में पुरुष पर आश्रित स्थिति एवम स्त्री पुरुष कार्य विभाजन आदि के माध्यम से महिलाओं का शोषण होता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि महिलायें ग्रह कार्यों तक सीमित और उनके अन्दर उतनी ही क्षमता है। समाज में महिला को सन्तान उत्पत्ति व पालन पोषण का एक माध्यम माना जाता है। क्योंकि ये सब बातें हमारी संरचना में व्याप्त चुकी हैं। और इन सब चीजों को आधार बनाकर महिलाओं का शोषण किया जाता है। परन्तु ये सब नियम परम्परायें रूढ़िवादी सोच, मानवीय गरिमा तथा परिवार व समाज के विरुद्ध है। हमारे समाज में बहुत सारे अवरोध के कारण महिलाओं के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं स्त्रियों में कुंठा की भावना व्याप्त हो जाती है, प्रस्तुत शोध में सामने आया है कि सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, मर्यादाओं तथा पुरुष प्रधान समाज, पितृसत्तात्मक पारिवारिक संगठन के परिणाम स्वरूप महिलाओं ने अपनी आर्थिक सहभागिता को विस्तृत रूप से प्रसार किया है और आर्थिक रूप से सशक्त मजबूत बन रही हैं।

सारथी कुमारी

‘महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका’ प्रस्तुत शोध में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक राजनैतिक उत्थान पर बल दिया गया है। शिक्षा के माध्यम से समाज में महिलाओं की प्रगति तथा उन्नति पर प्रकाश डाला गया है। महिलाओं का स्थान भी पुरुषों की तरह ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में स्त्री-पुरुष की बराबरी में सक्षम है। शिक्षित बनकर जीवन के प्रत्येक पक्ष को मजबूत बना रही है और परिवार व समाज में स्त्री पुरुष एक ही रथ के दो पहिये हैं। अतः दोनों का समान विकास व उत्थान हुये बिना गाड़ी रूपी गृहस्थी निर्विघन नहीं चल सकती है तथा शिक्षा ही वह

मूलभूत साधन है जिससे पूर्ण सशक्तिकरण हो सकता है। एक शिक्षित महिला के कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं का विकास आसानी से हो जाता है। शोधार्थी के अनुसार यदि किसी शब्द तथा समाज की वास्तविक जननी है तो सबसे पहले वहाँ की महिलाओं की ऐकिक स्थिति जानने की कोशिश करे। आजकल उत्पात के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ क विकास के लक्ष्यों में समावेशी शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सम्पूर्ण विश्व में शिक्षा से वंचित महिलाओं का वर्ग आसानी से देखा जा सकता है। अतः महिलाओं के सम्पूर्ण विकास हेतु शिक्षा को बढ़ावा देना व प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है।

संकटा प्रसाद शुक्ला, जय नारायण सोनी

‘महिला सशक्तिकरण’ की वर्तमान स्थिति राजनैतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, शोधार्थी के मतानुसार महिलायें लगभग आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं। परंतु राजनैतिक सहभागिता नगण्य है। लेकिन वर्तमान में पंचायती राज, सामाजिक समता और न्याय, आर्थिक विकास तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित ग्रामीण जीवन को नया रूप हेतु एक सामूहिक प्रयास है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी सशक्तिकरण हेतु प्रमुख घटकों में से एक है। पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न वर्गों की महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। शोधार्थी के अनुसार, स्वतंत्रता पश्चात् महिलाओं की राजनैतिक अवस्था नगण्य थी परन्तु आरक्षण के आधार पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है, और इन्हीं माध्यम से सत्ताविद जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। शुरुआती दिनों में आशिक्षा के कारण महिलाओं की भागीदारी कम थी लेकिन वर्तमान में राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की मजबूत स्थिति प्रत्यक्ष देखी जा सकती है।

विपिन कुमार सिंघल

‘महिला सशक्तिकरण एवं महिला अधिकार संरक्षण—एक विश्लेषणात्मक अध्ययन’ में शोधार्थी के द्वारा वैदिक युग व आधुनिक युग की महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधी को दृष्टिगत रखते हुये उत्तरदायी कारकों की खोज तथा महिला सशक्तिकरण की स्थिति का वैश्विक स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन एवं महिला सशक्तिकरण हेतु उठाये गये कदमों का विश्लेषण आदि पर प्रकाश डाला गया है। विभिन्न अधिकारों के प्रति जागरूकता के बावजूद भी स्थिति विपरीत बनी हुई है। अतः इस स्थिति से बचने हेतु महिलाओं को प्राथमिक तौर पर शिक्षित किया जाना चाहिये और आर्थिक सुदृढ़ता हेतु औपचारिक एव अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में समानता होनी चाहिये अर्थात् महिलाओं में चेतना एवं विभिन्न क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिये।

अध्ययन का महत्व व प्रासंगिकता

‘देश की लगभग आधी आबादी महिलाएं हैं। जब महिलाएं कार्यरत होती हैं, उसका प्रत्यक्ष असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण तथा कार्यबल में भागीदारी सकारात्मक विकास तथा उत्पादकता को बढ़ाती है। और साथ ही साथ समानता एवं आर्थिक, विविधीकरण को बढ़ाती है। लैंगिक समानता और महिला अधिकारों को अमल में लाने के लिये ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण केंद्रीय आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने (Young India by Mahatma Gandhil) नामक एक साप्ताहिक पत्रिका में 1930 में लिखा था कि “हमारे गांवों

में लाखों महिलायें जानती हैं कि बेरोजगारी का क्या मतलब है उन्हें आर्थिक गतिविधियों तक पहुँच प्रदान करें जिससे वो अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को जान सकेगी, जिससे वो अब तक अन्जान रही हैं। भारत में महिलायें अब तक लगभग सभी क्षेत्रों में बहुआयामी विकास हासिल कर चुकी हैं। फिर भी समाज में बहुत सी समस्याएँ प्रसांगिक हैं।

मेकिन्सेग्लोबल इंस्टीट्यूट Mckinsey Global Institute की रिपोर्ट ने अनुमान लगाया कि महिलाओं को समान अवसर देकर भारत 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में 770 बिलियन अमेरिकी डालर जोड़ सकता है। उत्पादक संसाधनों तक सहज पहुँच, की प्राप्ति तथा क्षमता प्रदर्शन की सुलभता पहुँच, अधिकारों, प्रत्येक स्तरों पर निर्णय एवं सक्रिय भागीदारी महिलाओं के लिये अति आवश्यक है। वर्तमान समय में भारत में लगभग 432 मिलियन कामकाजी महिलायें हैं। जिनमें से 42342 मिलियन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। शिक्षा तथा जागरूकता से महिलायें ग्रामीण स्तर पर भी आर्थिक आत्मनिर्भर हो रही हैं। उचित परिणाम हेतु शक्तिगत स्तर से लेकर संस्थात्मक जागरूकता, समता महत्वपूर्ण है।

निश्कर्ष

वर्तमान भारत में महिलायें शिक्षित व स्वावलम्बी बनकर संगठित असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत होकर आत्मनिर्भर बन गरीबी व बेरोजगारी के चक्रव्यूह से निकल रही हैं, और सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों जैसे आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्रों में प्रगति की तरफ अग्रसर हैं। विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्भर बनाने में कुटीर उद्योग—धन्धे बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे गृह उद्योग, सिलाई—कढ़ाई—बुनाई, अचार, पापड़, खेती—बाड़ी के माध्यम से अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलायें पुरुषों के बराबर योगदान दे रही हैं कृषि कार्यों में पूर्ण रूप से संलग्न हैं। परन्तु इसका न कभी मूल्य मिलता है ना, प्रत्येक गृहणी लगातार घर में 15—18 घण्टे काम करती है फिर भी आमतौर पर गृहणी महिलाओं को बेरोजगार बोल दिया जाता है। उनके द्वारा किये गये कार्यों का न तो कभी भुगतान किया जाता है न ही पैसों में आंका जाता है। कभी कोई मेहनताना प्राप्त नहीं होता। आर्थिक रूप से पुरुषों के अधीन ही माना जाता है। जो की विडम्बना है। हालांकि वर्तमान स्थिति का आंकलन करें तो पाते हैं कि गांवों में महिलायें स्वयं विभिन्न कार्यों को कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। जैसे सरकार द्वारा चालित योजनाओं, विकास कार्यक्रमों का लाभ ले रही हैं तथा विभिन्न सरकारी स्कीमों के माध्यम से लघु ऋणों को प्राप्त कर घरेलू स्तर पर अपने छोटे—मोटे उद्योग चालू कर रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में महिलाओं हेतु सामाजिक—आर्थिक सुधार लाने के लिये सरकार के कदम उठाये गये, पांचवीं व आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ नीतिकारी दृष्टिकोण में बदलाव दिखाई देता है। इन योजनाओं के माध्यम से महिला कल्याण के व सम्पूर्ण विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। आज प्रत्येक स्तर पर महिलायें साक्षर व उद्यमी बनकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।

सृष्टि में स्त्री व पुरुष दोनों का असतित्व परम आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, किसी स्तर पर भी महिलाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज 21वीं सदी में महिलायें सशक्त स्वतंत्र होकर अपने मतानुसार निर्णय लेने में सक्षम है। ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न पहलुओं के माध्यम से जीवन में गति की नई दिशा प्राप्त हो रही है।

सन्दर्भ

1. कौषिक, आषा. (2004). "नारी सशक्तिकरण विमर्ष एवं यर्थाथ". पोस्टर पब्लिषर्स: जयपुर।
2. गुप्ता, कमलेश कुमार. (2005). महिला सशक्तिकरण सामाजिक व्यवस्था मे महिलाओ की स्थिति. बुक एन्क्लेव प्रकाशन: नई दिल्ली।
3. महात्मा, गांधी. (1930). यंग इण्डिया पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका।
4. तातेड़, पुष्पा. आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय. IISN2455-SSN.
5. कुमारी, सारथी. महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका. E-ISSN 27068919.
6. पुक्ला, सकरा प्रसाद., सोनी, जयनारायण. महिला सशक्तिकरण का वर्तमान स्थिति राजनैतिक परिपेक्ष्य. ISSN2454 मे 2454–268745.
7. सिंघल, विपिन कुमार. महिला सशक्तिकरण महिला अधिकार संरक्षण. ICSSR ISSUE Janja.
8. गुलाठी, रितु. रष्यि ग्रामीण महिलाओं पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन. षोध मंथन. ISSNO 0976 - 52 55- 339X.
9. साहु, राजा. ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास में महिला स्वयं सहायता समूह का योगदान: मधुबनी जिला के संदर्भ में (ISSN, 2455-4588 RJIF-12).
10. पुरोहित, डा० विषाल., गायकवाड़, मोनिका. महिला आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र मे षासन द्वारा संचालित योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन।